

फर्द अहकाम

दफ्तार नं० काबि नं० चान्द्र

बनाम लखनौ

दिनांक/वर्ष : 14 / 20 22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/10/22	<p>पहावती वाहे आदेश पेश करी वादी ने ग्रह बाद वाहे इन्डिया दुरन्ती व स्वाती निवेदाणा अन्वयि धारा 88 व 188 अन्तर्गत राज. कायदा अधिनियम पेश कर आदेशवादी लखनौ जिल्हा तहसीलदार तह चान्द्र जिना लखनौ ग्रामीण पेश करे। ख. नं. 40, 53, 89 जिना 3 रकबा 0.20 हे. में वादी ने अपना बिल्ला दुरुस्त करवाने में इस्तदुका मी है।</p> <p>वादी ने ग्रह बाद राज. लखनौ के विरुद्ध पेश किया है कि अनुतोष भी लखनौ से चाहा है, यानि वादी से धारा 80 CPC के अवधानों की अनुपालना में राजा सरकार को आदेश जोरित दिया जाना आवश्यक था।</p> <p>वादी की कोर्ट से हफ्त के अंदर आर्पना - ग्रह अन्तर्गत धारा 80 CPC के अवधानों से का पेश नहीं किया है।</p>	


 दफ्तार नं० चान्द्र (अ. 22)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>उक्त: गुणावगुण पर विचार कि किना थह वाद धरा 80% के अवधानों ले बाधित होने काका खारिज किया जाता है।</p> <p>डिप्टी फर्मायरी संख पतावली कैपल शुभाह धर 4 नवंबर 1988</p> <p>उपलब्ध अति उपलब्ध बांधू जि. 2)</p>

न्य
 संख
 मनिद
 ना ए
 मसह
 जग
 सील
 कार
 निर्ण
 य
 0/11
 11/10